

**मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग**

**सांविधिक निकायों
द्वारा
अनुमोदित तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु
प्रवेश नियम**



**ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग
शैक्षणिक सत्र 2026-27**

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषय सूची

स.क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	सामान्य	3-3
2	परिभाषाएं/संक्षिप्तीकरण	4-6
3	सांविधिक (Statutory) या वैधानिक निकायों की सूची	7-7
4	संस्थाओं के प्रकार	7-7
5	प्रवेश के लिये संस्थाओं में उपलब्ध सीटों की जानकारी एवं काउंसलिंग के लिए संस्थाओं को शामिल होने के लिए जानकारी	8-8
6	पाठ्यक्रमों की सूची / अवधि / प्रवेश सत्र	9-10
7	पाठ्यक्रमों में स्थानों की उपलब्धता के प्रकार	11-13
8	स्थानों का आवंटन/आरक्षण	14-17
9	मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)	18-18
10	मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये अन्य विशेष प्रावधान/सीटें	19-22
11	अन्य विशेष सीटों के प्रावधान	23-24
12	प्रवेश हेतु पात्रता/ प्रवेश का आधार/ सुविधाएँ	25-34
13	अंकों में अधिभार	35-35
14	पाठ्यक्रमवार योग्यता क्रम सूचियों का आधार	35-35
15	समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Inter-se Merit)	36-37
16	प्रवेश का क्रम	38-39
17	प्रवेश की प्रक्रिया की सामान्य जानकारी	40-40
18	प्रवेश का रद्द किया जाना	41-41
19	शिक्षण तथा अन्य शुल्क	41-41
20	निर्वचन	41-41
21	उपांतरण	41-41
22	अधिकारिता	41-41
23	पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक विषयों की समतुल्यता	42-46
24	विभिन्न प्रारूप	47-58

1. सामान्य

शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त- सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रवेश के लिये

प्रवेश नियम

शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त- सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में संचालित तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश नियम प्रभावशील रहेंगे तथापि नीतिगत परिवर्तन की दशा में ही नियमों में आवश्यक संशोधन उपरान्त शासन की अनुमति आवश्यक होगी।

एवं

मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये, प्रवेश नियम प्रभावशील रहेंगे तथापि नीतिगत परिवर्तन की दशा में ही नियमों में आवश्यक संशोधन उपरान्त शासन की अनुमति आवश्यक होगी।

2. परिभाषाये/संक्षिप्तीकरण:

(2.1)	सांविधिक निकाय से अभिप्रेत है: भारतीय संसद के अधिनियम (Act of Parliament) द्वारा स्थापित निकायों को ही सांविधिक (Statutory) या वैधानिक निकाय कहा जाता है;
(2.2)	अभ्युच्चय (AICTE) से अभिप्रेत है: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (All India Council of Technical Education) अधिनियम, 1987 (1987 का 52) द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय;
(2.3)	"PCI" से अभिप्रेत है: फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया (Pharmacy Council of India - PCI) अधिनियम, 1948 द्वारा स्थापित, भारत में फार्मसी शिक्षा और पेशे को विनियमित करने वाला एक वैधानिक निकाय है;
(2.4)	"COA" से अभिप्रेत है: वास्तुकला परिषद् (Council of Architecture - COA), नई दिल्ली में स्थित भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जिसे संसद द्वारा पारित वास्तुकार अधिनियम, 1972 के तहत गठित किया गया था;
(2.5)	सी.टी.ई. (CTE) से अभिप्रेत है; कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन (Commissioner Technical Education), मध्यप्रदेश;
(2.6)	एनटीए (NTA) से अभिप्रेत है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency);
(2.7)	JEE Main (जेईई मेन) संयुक्त प्रवेश परीक्षा: भारत में इंजीनियरिंग (B.E./B.Tech) और आर्किटेक्चर (B.Arch/B.Plan) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए National Testing Agency (NTA) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है;
(2.8)	NATA (National Aptitude Test in Architecture) काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (CoA) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है;
(2.9)	GATE (गेट) से अभिप्रेत है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (Graduate Aptitude Test in Engineering)
(2.10)	PGETA (Postgraduate Entrance Test in Architecture) काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (CoA) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा है;
(2.11)	CMAT (Common Management Admission) नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है;
(2.12)	NET (National Eligibility Test) नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है;
(2.13)	GPAT (Graduate Pharmacy Aptitude Test) National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है;
(2.14)	"पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है: ऐसा कोई पाठ्यक्रम, जिसका नाम एवं पद्धति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हो तथा जिसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड या संस्था द्वारा पृथक रूप से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हो (जैसे बी.ई./बी.टेक. इलेक्ट्रिकल, बी.ई./बी.टेक. मैकेनिकल, बीबीए, बीसीए, बैचलर ऑफ फार्मसी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, एमसीए, एमबीए आदि)।;
(2.15)	"प्राचार्य" से अभिप्रेत है संस्था प्रमुख;
(2.16)	"रा. गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya), भोपाल से है;

(2.17)	"मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) नई दिल्ली, द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय;
(2.18)	"सक्षम प्राधिकारी (स. प्रा.)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी;
(2.19)	"मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है;
(2.20)	"श्रेणी" से अभिप्रेत है इन चार श्रेणी में से एक: - अनारक्षित (Unreserved = UR), अनुसूचित जाति (Scheduled Caste = SC) अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes = ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Class = OBC) क्रीमीलेयर को छोड़कर;
(2.21)	"वर्ग" से अभिप्रेत है इन वर्गों में कोई भी एक: - सैनिक (Sainik = S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (Freedom Fighters=FF), दिव्यांगजन (Differently Abled Persons=D), राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps=NCC), टेक्निकल स्ट्रीम (Technical Stream = TS) तथा बिना वर्ग (NIL = X);
(2.22)	"OP" सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरुष (Open Seat) अभ्यर्थी के लिए सीटे;
(2.23)	"F" सीटों से अभिप्रेत है महिला (Female) अभ्यर्थी के लिए सीटे;
(2.24)	"अनिवासी भारतीय" (Non-Resident Indian) का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड.) में उसके लिए दिया गया है;
(2.25)	"एन.आर.आई." (NRI) सीटों से अभिप्रेत है, अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indian) सीटें;
(2.26)	"ए.आई." (AI) सीटों से अभिप्रेत है, आल इंडिया (All India) सीटें;
(2.27)	"आई.पी.एस." (Institutional Preference Seat = IPS) सीटों से अभिप्रेत है, संस्थागत प्राथमिकता सीटें;
(2.28)	"मध्यप्रदेश सीटों" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिये आरक्षित सीटें;
(2.29)	सामान्य पूल की सीट से अभिप्रेत है, निजी संस्थाओं में उपलब्ध सीटें;
(2.30)	"अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);
(2.31)	"समुचित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी;
(2.32)	"प्रवेश तथा शुल्क विनियामक समिति" (Admission & Fee Regulatory Committee = AFRC) से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली शुल्क के निर्धारण के लिए अधिनियम 2007 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;
(2.33)	"उपाबंध" से अभिप्रेत है, इन प्रवेश नियमों से संबंधित म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित उपाबंध;
(2.34)	"सामान्य प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणागुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणागुण के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा;
(2.35)	शुल्क से अभिप्रेत है, शिक्षण शुल्क सहित समस्त शुल्क तथा विकास प्रभार;
(2.36)	"सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या पोषित नहीं है;

(2.37)	“व्यावसायिक शिक्षण संस्था” से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;
(2.38)	“अर्हकारी परीक्षा” से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;
(2.39)	“एकल खिड़की प्रणाली” से अभिप्रेत हैं, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;
(2.40)	“JoSAA” से तात्पर्य “संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (Joint Seat Allocation Authority)” है;
(2.41)	“CSAB” से तात्पर्य “केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड (Central Seat Allocation Board)” है।
(2.42)	“TFW” सीटों से तात्पर्य “शिक्षण शुल्क छूट योजना सीट (Tuition Fee Waiver)” है;
(2.43)	“EWS” सीटों से तात्पर्य “मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (Economically Weaker Section)” के लिये सीटें हैं;
(2.44)	NTPC = National Thermal Power Corporation Limited (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड);
(2.45)	BPL/Class-IV = Below Poverty Line and Fourth-Class Employee (गरीबी रेखा से नीचे एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी);
NOTE:- उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।	

3. सांविधिक (Statutory) या वैधानिक निकायों की सूची:-

स.क्र	सांविधिक निकाय
1.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली All India Council of Technical Education (AICTE), New Delhi.
2.	भारतीय भेषजी परिषद्, नई दिल्ली Pharmacy Council of India (PCI), New Delhi.
3.	वास्तुकला परिषद्, नई दिल्ली Council of Architecture (COA), New Delhi.

4. संस्थाओं के प्रकार:-

स.क्र	संस्था का प्रकार
1.	शासकीय संस्थायें
2.	शासन द्वारा घोषित स्वशासी संस्थायें
3.	अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थायें
4.	अनुदान प्राप्त- सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय) संस्थायें
5.	स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) संस्थायें
6.	निजी संस्थायें

5. प्रवेश के लिये संस्थाओं में उपलब्ध सीटों की जानकारी एवं काउंसलिंग के लिए संस्थाओं को शामिल होने के लिए जानकारी:-

3.1	प्रवेश के लिये काउंसलिंग में शामिल की जाने वाली संस्थायें	
	(क)	विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट https://dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई जावेगी।
	(ख)	यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में नवीन ब्रांच या विद्यमान ब्रांच की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन की जाने की अनुज्ञा उस वर्ष समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता एवं शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा पाठ्यक्रम का शैक्षणिक शुल्क निर्धारण तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।
	(ग)	विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की सांविधिक निकाओं से निरंतरता एवं संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये नहीं किये जाने तथा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा पाठ्यक्रम का शैक्षणिक शुल्क निर्धारण नहीं कराया होगा, तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

6. पाठ्यक्रमों की सूची / अवधि / प्रवेश का वर्ष:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित

स.क्र	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	प्रवेश का वर्ष
डिप्लोमा पाठ्यक्रम (Diploma Course)			
1	डिप्लोमा	3-वर्ष	प्रथम वर्ष
2	डिप्लोमा (डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत)	3-वर्ष	प्रथम वर्ष
3	डिप्लोमा-लेटरल एन्ट्री	2-वर्ष	द्वितीय वर्ष
4	डिप्लोमा-वर्किंग प्रोफेशनल्स	2-वर्ष	द्वितीय वर्ष
स्नातक पाठ्यक्रम (Graduate Course)			
5	बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी	4-वर्ष	प्रथम वर्ष
6	बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नालॉजी	4-वर्ष	प्रथम वर्ष
7	बैचलर ऑफ डिजाइन	4-वर्ष	प्रथम वर्ष
8	बैचलर ऑफ कम्प्यूटर (बी.सी.ए.)	3/4-वर्ष	प्रथम वर्ष
9	बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी.बी.ए.)	3/4-वर्ष	प्रथम वर्ष
10	बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी-लेटरल एन्ट्री	3-वर्ष	द्वितीय वर्ष
11	बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी-वर्किंग प्रोफेशनल्स	3-वर्ष	द्वितीय वर्ष
एकीकृत पाठ्यक्रम (Integrated Course)			
12	एकीकृत एम.बी.ए.	5-वर्ष	प्रथम वर्ष
13	एकीकृत एम.सी.ए.	5-वर्ष	प्रथम वर्ष
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Post Graduate Course)			
14	एम.सी.ए.	2-वर्ष	प्रथम वर्ष
15	एम.बी.ए.	2-वर्ष	प्रथम वर्ष
16	एम.टेक.-एम.ई.	2-वर्ष	प्रथम वर्ष
17	एम.टेक.-एम.ई.-वर्किंग प्रोफेशनल्स	2-वर्ष	प्रथम वर्ष
18	मास्टर ऑफ प्लानिंग	2-वर्ष	प्रथम वर्ष

भारतीय भेषजी परिषद् (PCI), नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित

डिप्लोमा पाठ्यक्रम (Diploma Course)			
1	डिप्लोमा फॉर्मिसेसी	2-वर्ष	प्रथम वर्ष
स्नातक पाठ्यक्रम (Graduate Course)			
2	बैचलर फॉर्मिसेसी	4-वर्ष	प्रथम वर्ष
3	बैचलर ऑफ फॉर्मिसेसी-लेटरल एन्ट्री	3-वर्ष	द्वितीय वर्ष
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Post Graduate Course)			
4	मास्टर ऑफ फार्मिसेसी	2-वर्ष	प्रथम वर्ष
फार्म-डी. पाठ्यक्रम (Pharm-D Courses)			
5	फार्म-डी. (फार्मिसेसी)	6-वर्ष	प्रथम वर्ष
6	फार्म-डी.(पी.बी.) (फार्मिसेसी)	3-वर्ष	प्रथम वर्ष

वास्तुकला परिषद् (COA), नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित

डिप्लोमा पाठ्यक्रम (Diploma Course)			
1	डिप्लोमा आर्किटेक्चर	3-वर्ष	प्रथम वर्ष
स्नातक पाठ्यक्रम (Graduate Course)			
2	बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर	5-वर्ष	प्रथम वर्ष
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Post Graduate Course)			
3	मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर	2-वर्ष	प्रथम वर्ष

7. पाठ्यक्रमों में स्थानों की उपलब्धता के प्रकार:-

7.1	स्थानों की उपलब्धता
(क)	शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में स्थानों की उपलब्धता।
	- सांविधिक निकाय के अनुमोदन पत्र में अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिये सीटों का प्रावधान प्राप्त होने पर 5% सीटें उपलब्ध होंगी। - आल इंडिया (AI) सीटें 5% उपलब्ध होंगी। - NRI एवं AI सीटें निकालने के उपरान्त, शेष बची सीटें मध्यप्रदेश के मूल निवासियों की सीटें कहलायेंगी। - अनिवासी भारतीय सीटें NRI एवं आल इंडिया (AI) सीटें रिक्त रहने पर, मध्यप्रदेश के मूल निवासियों की सीटों में परिवर्तित होंगी। - मध्यप्रदेश के मूल निवासियों की सीटें, सभी श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) के लिये उपलब्ध रहेंगी। - मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा। केवल महिलाओं के लिए संचालित संस्थाओं में सिर्फ महिला उम्मीदवार के लिए सीटें उपलब्ध रहेंगी। नोट:- अनारक्षित (UR) सीटों पर काउंसिलिंग के अंतिम चरण में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्रवेश देने के उपरान्त रिक्त सीटों पर अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जा सकेंगे।
(ख)	मध्यप्रदेश के निजी संस्थाओं में स्थानों की उपलब्धता
	- सांविधिक निकाय के अनुमोदन पत्र में अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिये सीटों का प्रावधान प्राप्त होने पर 5% सीटें उपलब्ध होंगी। - डिप्लोमा एवं स्नातक पाठ्यक्रमों में संस्थागत प्राथमिकता की सीटें (Institutional Preference Seat = IPS) के अंतर्गत 10% सीटें उपलब्ध होंगी। (IPS) रिक्त रहने पर सामान्य पूल (General Pool) की सीटों में परिवर्तित नहीं होंगी। - प्रवेश क्षमता से NRI, IPS सीटें निकालने के उपरान्त शेष बची सीटें सामान्य पूल (General Pool) सीटें कहलायेंगी। - सामान्य पूल की सीटों पर आरक्षण के नियमानुसार, सीटों का विभिन्न श्रेणियों में वितरण किया जायेगा। - सामान्य पूल की सीटों में उपलब्ध अनारक्षित (UR) सीटों पर प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश के मूलनिवासी की बाध्यता लागू नहीं होगी अर्थात् अनारक्षित सीटों पर मध्यप्रदेश के मूल-निवासियों के साथ-साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।
(ग)	बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी पाठ्यक्रम में विशेष प्रावधान अंतर्गत के स्थानों की उपलब्धता:-
	University Institute of Technology RGPV, Shivpuri: - राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की घटक संस्था है जिसमें 5 प्रतिशत सीटें एनटीपीसी के कर्मचारी और उनके वार्ड्स (Employee and their Wards) के लिये

		आरक्षित रहेंगी। उक्त सीटें रिक्त रहने पर मध्यप्रदेश के मूल निवासियों की सीटों में परिवर्तित होंगी। II. श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर:- अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था में 5 प्रतिशत आल इंडिया (AI) सीटों पर प्रवेश JoSAA (Joint Seat Allocation Authority/CSAB (Central Seat Allocation Board) द्वारा किये जायेंगे। इन सीटों पर प्रवेश के संबंध में समस्त कार्यवाही संस्था द्वारा की जायेगी।
	(घ)	डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये विशेष प्रावधान:- डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये विशेष प्रावधान:- ➤ शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, मुरैना में 100 प्रतिशत स्थान (प्रत्येक संकाय में स्वीकृत प्रवेश क्षमता में से सामान्य सीटें छोड़कर) केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु आरक्षित है। सामान्य सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। ➤ शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, सीहोर में 100 प्रतिशत स्थान केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु आरक्षित है। ➤ शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, लटेरी (सह-शिक्षा) में 50 प्रतिशत स्थान केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रों एवं छात्राओं हेतु आरक्षित है। शेष 50 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश की कार्यवाही डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये विशेष प्रावधान:- ➤ शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, झाबुआ में 100 प्रतिशत स्थान केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु आरक्षित है। ➤ शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, मण्डला में 100 प्रतिशत स्थान केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु आरक्षित है। ➤ शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, हरसूद (सह-शिक्षा) में 50 प्रतिशत स्थान केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति के छात्रों एवं छात्राओं हेतु आरक्षित है। शेष 50 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश की कार्यवाही डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी। नोट 1:-योजनान्तर्गत पूर्व निर्धारित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये संस्था में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर एकलव्य योजनान्तर्गत संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित व इसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर योजनान्तर्गत संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम में प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे उम्मीदवारों को प्रवेश के समय शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं अन्य शुल्क देय होंगे।
	(ङ)	विशेष सहशिक्षा पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश का प्रावधान:- मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रं./एफ-5-5/2007/42/1, दिनांक 10-02-2009 द्वारा राज्य की शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय छिन्दवाड़ा, नर्मदापुरम, खरगौन, बुरहानपुर, सागर, पन्ना, नरसिंहपुर एवं भिण्ड को सहशिक्षा में परिवर्तित किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है,

		कि समस्त पात्र महिला उम्मीदवारों को प्रवेश देने के उपरान्त यदि कोई स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें पुरुष उम्मीदवारों से भरा जावेगा।
	(च)	एम.टेक.-एम.ई. (M.Tech./M.E)/मास्टर ऑफ फार्मेसी (M. Pharmacy)/मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर (M. Architecture)/मास्टर ऑफ प्लानिंग (M. Planning) में विशेष प्रावधान: - ➤ शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में अनारक्षित (UR) सीटों पर मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के साथ-साथ अन्य प्रदेश के निवासी उम्मीदवारों को उनकी मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जा सकेंगे (UR Seats are available for MP domicile as well as non-domicile candidates as per their merit).
	(क्ष)	डिप्लोमा-लेटरल एन्ट्री, बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी-लेटरल एन्ट्री एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी -लेटरल एन्ट्री:- ➤ पिछले शैक्षणिक वर्ष की स्वीकृत प्रवेश क्षमता (Sanctioned Intake) से अधिकतम 10 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें; ➤ पिछले शैक्षणिक वर्ष की प्रथम वर्ष की रिक्त / खाली सीटें (EWS की सीटों सहित); नोट:- सांविधिक निकायों/राज्य शासन के प्रावधान अनुसार लेटरल एन्ट्री पाठ्यक्रम में गत सत्र के प्रथम वर्ष में EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की रिक्त सीटों सहित पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

8. स्थानों का आवंटन/आरक्षण:

8.1	मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें:
	शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त- सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन एवं निजी संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण समस्त पाठ्यक्रमों में लागू रहेगा। टिप्पणी:- (क) विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को नियमानुसार पुनः परिवर्तित (Redistribution):- यदि उत्तरोत्तर चरण की काउंसिलिंग आयोजित की जाती है तब पिछले चरण के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को नियमानुसार पुनः परिवर्तित (Redistribution) किया जावेगा। (ख) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है। (ग) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) में पंजीयन के समय अपलोड करना एवं प्रवेशित संस्था में रिपोर्टिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। I. मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी:- ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे निर्धारित प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश) II. मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी:- ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे निर्धारित प्रारूप-2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रवेशित वर्ष से, 3 वर्ष पूर्व, 30 अप्रैल की तिथि (उदाहरण स्वरूप:- यदि प्रवेशित वर्ष 2026-27 है तो 3 वर्ष पूर्व अर्थात् प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2023 के पूर्व जारी किया गया हो) के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र प्रारूप-10 में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश।)

8.2	क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation):-
	शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय) संस्थाओं में सभी श्रेणियों में सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), तथा टेक्निकल स्ट्रीम (TS), एन.सी.सी. (NCC), दिव्यांग (D) एवं महिला (F) वर्ग के उम्मीदवारों हेतु क्षैतिजीय आरक्षण रहेगा। जबकि स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) संस्थानों में प्रत्येक श्रेणी में केवल दिव्यांग (D) एवं महिला (F) उम्मीदवारों के लिए क्षैतिजीय आरक्षण रहेगा। ➤ सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), दिव्यांगजन (D) तथा टेक्निकल स्ट्रीम (TS) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्षैतिजीय आरक्षण क्रमशः 5, 3, 3, 1 प्रतिशत रहेगा। ➤ एन.सी.सी. (NCC) वर्ग में डिप्लोमा/स्नातक पाठ्यक्रमों में 2 प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एकीकृत सहित) एवं फार्म-डी. पाठ्यक्रम में 1 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। ➤ स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों (एकीकृत सहित) एवं फार्म-डी. पाठ्यक्रम में केवल एन.सी.सी. (NCC), दिव्यांग (D) एवं महिला (F) वर्ग के उम्मीदवारों के लिये क्षैतिजीय आरक्षण रहेगा। ➤ लेटरल एन्ट्री एवं वर्किंग प्रोफेशनल्स के सभी पाठ्यक्रमों में केवल महिला (F) का आरक्षण रहेगा। ➤ टेक्निकल स्ट्रीम (TS) वर्ग आरक्षण केवल बी.ई./बी.टेक. एवं बी. आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में ही रहेगा। ➤ डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की समस्त संस्थाओं में दिव्यांग (D) वर्ग के लिये आरक्षण रहेगा। इन याजनाओं के अंतर्गत सहशिक्षा संस्थाओं में महिला (F) वर्ग के लिये भी आरक्षण रहेगा।
	I. सैनिक वर्ग (S):- सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से दिव्यांग हो गये हों। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप-3 भाग(अ) में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-4 में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे। अथवा वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। (प्रमाण पत्र प्रारूप-3 भाग(ब) में) उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-6 में प्रस्तुत करना होगा। अथवा

वह प्रवेशित वर्ष की 1 जनवरी की तिथि (उदाहरण स्वरूप:- यदि प्रवेशित वर्ष 2026-27 है तो प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2026 को अथवा उसके पूर्व जारी किया गया हो) को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। (प्रमाण पत्र **प्रारूप-3 भाग(ब)** में)

- **टिप्पणी:-** सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

II. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF):- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी, जो मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि, उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्रकाशित सूची में पंजीकृत है।

- **टिप्पणी:-** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से **प्रारूप-5** में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

III. टेक्निकल स्टीम (TS):-

- **बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम** में एआईसीटीई/शासन के प्रावधान अनुसार टेक्निकल स्टीम वर्ग में मध्य प्रदेश के ऐसे मूल निवासी उम्मीदवारों को बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से **10+2** प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा भौतिकी तथा गणित मुख्य विषय के रूप में तथा रसायन/बायोटेक्नालॉजी/बायोलॉजी/तकनीकी व्यावसायिक में से एक विषय के साथ उत्तीर्ण के साथ-साथ मध्यप्रदेश स्थित विश्वविद्यालय से किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा (Diploma) उत्तीर्ण किया हो।

- **बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम** में सीओए/शासन के प्रावधान अनुसार टेक्निकल स्टीम वर्ग में मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 हाई स्कूल प्रणाली की दसवीं की परीक्षा गणित एवं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तथा मध्यप्रदेश स्थित विश्वविद्यालय से किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा (Diploma) उत्तीर्ण किया हो।

IV. एन.सी.सी. (NCC) प्रमाण पत्र उत्तीर्ण: -

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, के आदेश क्रमांक 758/2730/2009/42-2 भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश के **एन.सी.सी. के "बी" प्रमाण पत्र** उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा/स्नातक पाठ्यक्रमों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के **2 प्रतिशत** एवं **एन.सी.सी. के "सी" प्रमाण पत्र** उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों (एकीकृत सहित) एवं फार्म-डी. पाठ्यक्रम में **1 प्रतिशत** स्थान आरक्षित रहेंगे।

	V. दिव्यांग उम्मीदवारों की सीटें (Seats for Differently Abled Persons):- ऐसे दिव्यांग उम्मीदवार जिनका निःशक्तता 40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक है एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण समस्त श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) में उपलब्ध रहेगा। टिप्पणी:- 1. दिव्यांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीटें रिक्त रहती है तो, ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के Nil वर्ग (बिना वर्ग, X) में परिवर्तन किया जा सकेगा। 2. इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:- I. जिला चिकित्सा मंडल द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र; तथा II. अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, दिव्यांगों हेतु, नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर, नेपीयर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) (Superintendent, National Career Service Center for Differently Abled, Napier Town, Jabalpur, Madhya Pradesh) द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा जिसमें पाठ्यक्रम एवं संकाय (ब्रांच) का उल्लेख होना अनिवार्य है। VI. मध्यप्रदेश की महिला (F) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण:- समस्त पाठ्यक्रमों में प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवारों हेतु 30 प्रतिशत सीटों का "कम्पार्टमेंटलाइज्ड" आरक्षण उपलब्ध रहेगा। ऐसी सीटों को (F) दर्शाया जावेगा। महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा। टिप्पणी:- I. किसी वर्ग (Class) विशेष में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटें उसी वर्ग के ओपन (OP) उम्मीदवारों से भरी जावेगी। वर्ग विशेष में ओपन उम्मीदवार भी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटें उसी श्रेणी (Category) के बिना वर्ग (X/OP) उम्मीदवारों के द्वारा भरी जावेगी। II. किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी वर्ग में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस वर्ग की पात्रता के पुरूष उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा। VII. बिना वर्ग (Nil Class) (X):- जो उम्मीदवार उपरोक्त वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग" (X) का उम्मीदवार माना जावेगा।
--	--

9. मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements):-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में प्रवेश के लिये निम्नानुसार प्रावधान रहेगा:-

- शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में उपलब्ध पाठ्यक्रमों की सीटों के विरूद्ध ऐसे उम्मीदवारों को (सैनिक वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों तथा जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर) प्रवेश हेतु **प्रारूप-6** प्रस्तुत करना होगा।
- निजी क्षेत्र की संस्थाओं में, सामान्य पूल की सीटों पर मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये आरक्षण का प्रावधान रखा गया है तथा उम्मीदवारों को प्रवेश के लिये **प्रारूप-6** प्रस्तुत करना होगा।

10. मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये अन्य विशेष प्रावधान/सीटें:-

10.1	मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये (BPL/Class-IV) प्रावधान:- चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी: मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को अपने पिता/माता के नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके पिता/माता राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके पिता/माता गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
	पाठ्यक्रम जिनमें प्रावधान उपलब्ध रहेंगे:-
	(क) डिप्लोमा पाठ्यक्रम/डिप्लोमा आर्किटेक्चर:- ➤ किसी श्रेणी की योग्यताक्रम (मेरिट) सूची के ऐसे उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री हों तथा किसी संस्था विशेष में प्रवेश लेने के इच्छुक हों, तो उन्हें काउंसिलिंग प्रक्रिया में उनके वर्तमान निवास स्थान के जिले में स्थित शासकीय, शासकीय महिला, शासन द्वारा घोषित स्वशासी एवं स्वशासी महिला, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन संस्थाओं का आवंटन किया जा सकेगा। ➤ इन उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार इच्छित संस्था का चुनाव शासकीय, शासकीय महिला, शासन द्वारा घोषित स्वशासी एवं स्वशासी महिला, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में पूरी स्वीकृत प्रवेश क्षमता तक उपलब्ध रहेगा। ➤ ऐसे उम्मीदवारों को उनके वर्तमान निवास स्थान के जिले के अतिरिक्त अन्य स्थानों में स्थित संस्थाओं में उपरोक्त सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। नोट:- ➤ परन्तु जिस भी जिले में शासकीय, शासकीय महिला, शासन द्वारा घोषित स्वशासी एवं स्वशासी महिला, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन संस्थाएँ संचालित नहीं हैं, उस जिले के संबंधित संभाग में, शासकीय, शासकीय महिला, शासन द्वारा घोषित स्वशासी एवं स्वशासी महिला, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में, उम्मीदवार को पात्रतानुसार प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा रहेगी। ➤ महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता, पाठ्यक्रमों में स्थानों की उपलब्धता के प्रकार में दिये गये प्रावधानों के अनुसार रहेगी।

	(ख) बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी:- बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम हेतु किसी श्रेणी की योग्यताक्रम (मेरिट) सूची के ऐसे उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री हों, तथा किसी संस्था विशेष में प्रवेश लेने के इच्छुक हों, तो उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग में स्थित शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन संस्थाओं का आवंटन किया जा सकेगा। इन उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार इच्छित संस्था का चुनाव शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में पूरी स्वीकृत प्रवेश क्षमता तक उपलब्ध रहेगा। नोट:- चम्बल और नर्मदापुरम् संभाग में शासकीय (Govt.) क्षेत्र की संस्थाएँ नहीं होने के कारण चम्बल संभाग में निवासरत् उम्मीदवार, ग्वालियर संभाग तथा नर्मदापुरम् संभाग में निवासरत् उम्मीदवार, भोपाल संभाग में उपलब्ध शासकीय (Govt.) क्षेत्र की संस्थाओं में प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
	(ग) डिप्लोमा फार्मेसी एवं अन्य स्नातक पाठ्यक्रम:- किसी श्रेणी की योग्यताक्रम (मेरिट) सूची के ऐसे उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री हों, तथा किसी संस्था विशेष में प्रवेश लेने के इच्छुक हों, तो उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग में स्थित शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) संस्था का आवंटन किया जा सकेगा। इन उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार इच्छित संस्था का चुनाव शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) संस्थाओं में पूरी स्वीकृत प्रवेश क्षमता तक उपलब्ध रहेगा। ऐसे उम्मीदवारों को उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग के अतिरिक्त अन्य स्थानों में स्थित संस्थाओं में उपरोक्त सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
10.2	शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटें (Tuition Fee Waiver Scheme) ➤ ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, स्नातक, मैनेजमेंट एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन्स इत्यादि पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना- ऐसी संस्थाओं में जिनमें गतवर्ष प्रवेश क्षमता के न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रवेश हुए हों उन संस्थाओं में अनिवार्य रूप से लागू होगी, जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ➤ पी.सी.आई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान अनुसार फार्मेसी Act 1948 u/s 12 के अंतर्गत अनुमोदित स्नातक एवं डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली केवल ऐसी संस्थाएँ जिसमें गत वर्ष प्रवेश क्षमता के न्यूनतम 30 प्रतिशत प्रवेश हुये हों, ऐसी समस्त संस्थाओं में शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य

	रूप से लागू होगी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। नोट:- 1. इस हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख से अधिक न हो, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि शासन/प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। 2. इन स्थानों पर प्रवेश के सभी चरणों में परामर्श (काउंसलिंग) की जावेगी। 3. इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। 4. प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।
10.3	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु आरक्षण:- ➤ ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में प्रवेश हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./ एक, भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे। ➤ फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में प्रवेश हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./ एक, भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान अनुसार फार्मसी Act 1948 u/s 12 के अंतर्गत स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे। ➤ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में प्रवेश हेतु म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./ एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10% (दस प्रतिशत) स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे। (केवल बी. आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में प्रावधान रहेगा।) नोट:- 1. प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण-पत्र उपलब्ध होगा को प्रवेश दिया जायेगा।

	2. ऐसे उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, निर्धारित प्रारूप-11 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश तथा सीटों के संबंध में संविधिक निकायों द्वारा जारी किये गये निर्देश/प्रावधान अनुसार सीटों का वर्गीकरण रहेगा।
महत्वपूर्ण टीप:- ➤ डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा एवं लेटरल एन्ट्री, वर्किंग प्रोफेशनल्स स्तर के सभी पाठ्यक्रमों तथा एकीकृत, स्नातकोत्तर एवं फार्म-डी. स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में बिन्दु क्रमांक 10.1 के प्रावधान नहीं रहेंगे। ➤ डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा तथा लेटरल एन्ट्री एवं वर्किंग प्रोफेशनल्स के सभी पाठ्यक्रमों में बिन्दु क्रमांक 10.2 के प्रावधान नहीं रहेंगे। ➤ डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा तथा लेटरल एन्ट्री एवं वर्किंग प्रोफेशनल्स के सभी पाठ्यक्रमों में बिन्दु क्रमांक 10.3 के प्रावधान नहीं रहेंगे, अपितु लेटरल एन्ट्री पाठ्यक्रमों में गतवर्ष की प्रथम वर्ष की रिक्त EWS सीटों पर नियमानुसार सीटों का वितरण करने के उपरान्त, यदि EWS की सीटें उपलब्ध होती हैं तो, उन पर प्रवेश की कार्यवाही की जा सकेगी। ➤ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में बिन्दु क्रमांक 10.2 का प्रावधान नहीं रहेगा।	

11. अन्य विशेष सीटों के प्रावधान:-

11.1	जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों (JK Migrant=JKM) के पुत्र/पुत्रियों के लिए सीटों की उपलब्धता:-
	I. ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में:- ➤ शासकीय एवं शासन द्वारा घोषित स्वशासी महाविद्यालयों में डिप्लोमा/ इंजीनियरिंग (बी.ई./बी.टेक.) पाठ्यक्रमों के प्रत्येक संकाय (ब्रांच) में स्वीकृत प्रवेश क्षमता में से एक-एक सीट तथा शेष पाठ्यक्रमों की संस्थाओं में स्वीकृत प्रवेश क्षमता में से केवल एक सीट उपलब्ध रहेगी। ➤ अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीमड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (Over and Above) आधार पर उपलब्ध रहेगी। ➤ निजी क्षेत्र के संस्थानों में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (Over and Above) आधार पर उपलब्ध रहेगी। II. काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में:- प्रत्येक संस्था में प्रवेश क्षमता में से एक सीट उपलब्ध होगी। III. पी.सी.ई. द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में:- प्रत्येक संस्था में प्रवेश क्षमता में से एक सीट उपलब्ध होगी। नोट:- ➤ प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप-7 में जम्मू एवं कश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ➤ मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप-8 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
11.2	जम्मू एवं कश्मीर राज्य के निवासियों (J&K Residents = JKR) के लिये सीटों की पाठ्यक्रमवार उपलब्धता :-
	I. ए.आई.सी.टी.ई., पी.सी.आई. एवं सी.ओ.ए. द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में:- ➤ शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीमड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में आल इण्डिया सीटों में से एक-एक सीट प्रत्येक संस्थाओं में उपलब्ध रहेगी। ➤ निजी क्षेत्र के संस्थानों प्रत्येक संस्था में सामान्य पूल सीटों में से एक-एक सीट प्रत्येक संस्थाओं में उपलब्ध रहेगी।

11.3	एन.आर.आई (NRI) सीटें:- ऐसी समस्त संस्थाएँ, जिन्होंने सांविधिक निकायों द्वारा, अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमोदन प्रदान किया होगा, उनमें मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश” (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार प्रवेश दिये जावेंगे।
11.4	आल इंडिया (AI) सीटें:- शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटों पर आल इंडिया उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी।
11.5	विदेशी नागरिकों / भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) का प्रवेश, केवल बी.ई / बी.टेक. पाठ्यक्रम के लिये:- - ऐसी संस्थाएँ जिन्हें एआईसीटीई के अनुमोदन में विदेशी नागरिकों / भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/सीआईडब्ल्यूजीसी के अभ्यर्थियों की सीटों के लिये भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है तो, ऐसी संस्थाओं को स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 15 प्रतिशत (अधिसंख्य) स्थान पर प्रवेश देने की पात्रता होगी। ऐसे स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित प्रक्रियानुसार भरे जा सकेंगे। - संबंधित संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थियों की वास्तविकताओं तथा उनके अभिलेखों को सुनिश्चित करें तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी, शासन, एआईसीटीई को कोई जानकारी या वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं।
11.6	संस्थागत प्राथमिकता की सीटें (Institutional Preference Seat = IPS):- केवल उन निजी संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों (IPS) के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहमति दी हो, स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को सर्वप्रथम सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रमस्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यताक्रम में एवं तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा के प्रातांकों के योग्यताक्रम में एआईसीटीई/पीसीआई/सीओए/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियामक एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार भरने की अनुमति दी जायेगी।
महत्वपूर्ण टीप:- ➤ डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा एवं लेटरल एन्ट्री, वर्किंग प्रोफेशनल्स स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में तथा एम.टेक.-एम.ई., मास्टर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ प्लानिंग, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एवं फार्म-डी.(पी.बी.) (फार्मेसी) पाठ्यक्रमों में बिन्दु क्रमांक 11.1, 11.2 एवं बिन्दु क्रमांक 11.4 के प्रावधान नहीं रहेंगे। ➤ समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बिन्दु क्रमांक 11.4 के प्रावधान नहीं रहेंगे।	

12. प्रवेश हेतु पात्रता/प्रवेश का आधार/सुविधाएँ:-

12.1	जो भारत का नागरिक हो
12.2	शैक्षणिक अर्हता/प्रवेश का आधार/अन्य मिलने वाली सुविधाएँ
डिप्लोमा पाठ्यक्रम (Diploma Course)	
(1)	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (Diploma Course):- शैक्षणिक अर्हता:- माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।
(2)	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत) शैक्षणिक अर्हता:- माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे। नोट:- योजनान्तर्गत सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थी को मिलने वाली सुविधाएँ:- छात्रवृत्ति:- ➤ रु 1000/- प्रतिमाह प्रति अभ्यर्थी। निःशुल्क स्टेशनरी, ड्राइंग एवं अन्य सामग्री:- ➤ प्रति उपसत्र अधिकतम रु 2000/- मूल्य की प्रति अभ्यर्थी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें:- ➤ प्रति उपसत्र अधिकतम रु 2000/- मूल्य की प्रति अभ्यर्थी। निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन:- ➤ अभ्यर्थी को यह सुविधा प्रदान की जावेगी। निःशुल्क परीक्षा:- ➤ राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल की वास्तविक राशि।
(3)	लेटरल एण्ट्री-डिप्लोमा द्वितीय वर्ष {Lateral Entry-Diploma 2nd year} शैक्षणिक अर्हता:- 10+2 प्रणाली की 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ दो वर्ष अथवा उससे अधिक वर्ष का पाठ्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। टिप्पणी:- 10+2 की दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में दो अथवा उससे अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी डिप्लोमा ब्रांच में प्रवेश हेतु पात्रता होगी।

	अथवा 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा, उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक विषयों की समतुल्यता भी रहेगी। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे। नोट:- लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेशित विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर) के विषयों के साथ-साथ रेमेडियल विषयों का अध्ययन भी करना होगा जो कि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
(4)	डिप्लोमा-वर्किंग प्रोफेशनल्स (Diploma-Working Professionals) शैक्षणिक अर्हता:- 10+2 प्रणाली की 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ दो वर्ष अथवा उससे अधिक वर्ष का पाठ्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। टिप्पणी:- 10+2 की दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में दो अथवा उससे अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी भी डिप्लोमा ब्रांच में प्रवेश हेतु पात्रता होगी। अथवा 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा, उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक विषयों की समतुल्यता भी रहेगी। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे। नोट:- ➤ अभ्यर्थी के कार्यक्षेत्र से शैक्षणिक संस्थान 75 किलोमीटर के दायरे में होने के साथ-साथ न्यूनतम एक वर्ष का पूर्णकालिक/नियमित कार्य का अनुभव हो। ➤ लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेशित विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर) के विषयों के साथ-साथ रेमेडियल विषयों का अध्ययन भी करना होगा जो कि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
(5)	डिप्लोमा फार्मसी (Diploma Pharmacy) शैक्षणिक अर्हता:- फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित प्रावधान अनुसार डिप्लोमा फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:- ➤ 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा (विज्ञान संकाय) की परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीवविज्ञान या गणित के साथ में उत्तीर्ण होना आवश्यक। Or ➤ उपरोक्त परीक्षा के समकक्ष भारतीय भेषजी परिषद् (PCI) द्वारा स्वीकृत कोई अन्य योग्यता।

	प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।
(6)	डिप्लोमा आर्किटेक्चर(Diploma Architecture) शैक्षणिक अर्हता:- माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा/SSC परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे। टिप्पणी:- उम्मीदवार को डिप्लोमा आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम की विभिन्न ब्रांचों में प्रवेश हेतु पात्रता होगी।
स्नातक पाठ्यक्रम (Graduate Course)	
(1)	बी.टेक./बी.ई.(B.Tech./B.E.) शैक्षणिक अर्हता:- माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा भौतिक / गणित / रसायन / कंप्यूटर साइंस / इलेक्ट्रॉनिक्स / इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/ बायोलॉजी/ इन्फार्मेटिक्स प्रैक्टिस / बायोटेक्नालॉजी / टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट / एग्रीकल्चर / इंजीनियरिंग ग्राफिक्स / बिजनेस स्टडीज / एन्टरप्रोन्यरशिप विषयों के साथ सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करना होगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक विषयों की समतुल्यता भी रहेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिये एग्रीकल्चर स्ट्रीम (कृषि से संबंधित तीन मुख्य विषयों के साथ) से 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे। सम्मिलित रूप से अर्हता के लिये तालिका-1 के अनुसार आवश्यक तीन विषयों में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा} प्रवेश का आधार:- नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA) द्वारा प्रवेशित वर्ष के लिये आयोजित की जाने वाली जेईई (मेन) प्रवेश परीक्षा की घोषित ऑल इंडिया रैंक के आधार पर बी.ई./बी.टेक. में प्रवेश दिये जायेंगे। {एनटीए द्वारा जेईई (मेन) की घोषित ऑल इंडिया रैंक केवल धनात्मक समग्र अंक (positive composite score) प्राप्त उम्मीदवार ही पात्र होंगे।} नोट:- यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की काउंसलिंग के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो द्वितीय दौर की काउंसलिंग, प्रवेश परीक्षा की रैंक के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक-पृथक अथवा साथ-साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
(2)	लेटरल एंट्री बी.टेक./बी.ई. द्वितीय वर्ष {Lateral Entry-B.Tech./B.E. 2nd year} शैक्षणिक अर्हता:- किसी भी इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी शाखा में नियमित तीन वर्षीय/दो वर्षीय (लेटरल एंट्री के माध्यम से) इंजीनियरिंग डिप्लोमा/आर्किटेक्चर डिप्लोमा किसी ऐसे

	संस्थान/विश्वविद्यालय से जो AICTE/COA/UGC द्वारा मान्यता प्राप्त या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) द्वारा मान्यता प्राप्त, किसी विदेशी विश्वविद्यालय से, अथवा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों से उत्तीर्ण की हो। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. (B.Sc.) डिग्री परीक्षा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो तथा 10+2 परीक्षा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। नोट:- मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों के लिए पात्रता मापदंड यह होगा कि वे योग्यता परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे। टिप्पणी:- उम्मीदवार को किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में प्रवेश हेतु पात्रता होगी।
(3)	बी.टेक./बी.ई.- वर्किंग प्रोफेशनल्स (B.Tech./B.E.-Working Professionals) शैक्षणिक अर्हता:- किसी भी इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी शाखा में नियमित तीन वर्षीय/दो वर्षीय (लेटरल एंट्री के माध्यम से) इंजीनियरिंग डिप्लोमा, किसी ऐसे संस्थान/विश्वविद्यालय से जो AICTE/COA/UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों से उत्तीर्ण की हो। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. (B.Sc.) डिग्री परीक्षा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो तथा 10+2 परीक्षा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। नोट:- मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों के लिए पात्रता मापदंड यह होगा कि वे योग्यता परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे। नोट:- अभ्यर्थी के कार्यक्षेत्र से शैक्षणिक संस्थान 75 किलोमीटर के दायरे में होने के साथ-साथ न्यूनतम एक वर्ष का पूर्णकालिक/नियमित कार्य का अनुभव हो। टिप्पणी:- उम्मीदवार को किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में प्रवेश हेतु पात्रता होगी।
(4)	बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नालॉजी (BHMCT) शैक्षणिक अर्हता:- माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल से 10+2 परीक्षा (अर्हता परीक्षा) उत्तीर्ण की हो या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा समग्र रूप से न्यूनतम 45% अंक (मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक) प्राप्त किए हों। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।

(5)	बैचलर ऑफ डिजाइन (B. Design) शैक्षणिक अर्हता:- माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल से 10+2 परीक्षा (अर्हता परीक्षा) उत्तीर्ण की हो या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा समग्र रूप से न्यूनतम 45% अंक (मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक) प्राप्त किए हों। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।
(6)	बीबीए/बीएमएस/बीबीएम इत्यादि (BBA/BMS/BBM etc.) शैक्षणिक अर्हता:- संबद्ध विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के अनुसार निर्धारित पात्रता के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।
(7)	बीसीए (BCA) शैक्षणिक अर्हता:- संबद्ध विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के अनुसार निर्धारित पात्रता के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो या कमर्शियल प्रैक्टिस में डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।
(8)	बैचलर फार्मेसी (Bachelor of Pharmacy) शैक्षणिक अर्हता:- अभ्यर्थी ने संबंधित राज्य/केंद्र सरकार के प्राधिकरण द्वारा आयोजित 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा जिसे Association of Indian Universities द्वारा 10+2 के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो। साथ ही अंग्रेजी एक विषय के रूप में तथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित (P.C.M.) एवं/या जीवविज्ञान (P.C.B./P.C.M.B.) को वैकल्पिक विषयों के रूप में अलग-अलग उत्तीर्ण किया हो। उपरोक्त परीक्षा के समकक्ष भारतीय भेषजी परिषद् (PCI) द्वारा स्वीकृत कोई अन्य योग्यता। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।
(9)	लेटरल एण्ट्री-बैचलर ऑफ फॉर्मेसी द्वितीय वर्ष {Lateral Entry- (Bachelor of Pharmacy) 2nd year} शैक्षणिक अर्हता:- फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 12 के अंतर्गत भारतीय भेषजी परिषद् (PCI) द्वारा अनुमोदित संस्थान से डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।
(10)	बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (Bachelor of Architecture) शैक्षणिक अर्हता:- 10+2 या समकक्ष परीक्षा भौतिकी और गणित को अनिवार्य विषयों के रूप में तथा रसायन विज्ञान या जीवविज्ञान या तकनीकी व्यावसायिक विषय या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना

	प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या व्यवसाय अध्ययन (Chemistry or Biology or Technical Vocational subject or Computer Science or Information Technology or Informatics Practices or Engineering Graphics or Business Studies) में से किसी एक विषय के साथ उत्तीर्ण करने के साथ समग्र रूप से न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किये हों। अथवा 10+3 डिप्लोमा परीक्षा गणित को अनिवार्य विषय के रूप में लेकर न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। प्रवेश का आधार:- प्रवेश परीक्षा नाटा (NATA) के साथ-साथ जेईई-मेन परीक्षा पेपर-2 को भी मान्य करते हुए प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी। नोट:- प्रवेश परीक्षा नाटा (NATA) उत्तीर्ण (Qualified) अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर प्रवेश परीक्षा नाटा (NATA) के स्थान पर प्रवेशित वर्ष की Jee-Mains परीक्षा का पेपर-2 (Aptitude Test in Architecture) को मान्य किया जायेगा।
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (Post Graduate Course)	
(1)	एम.बी.ए. (MBA) शैक्षणिक अर्हता:- स्नातक में कम से कम 50% अंक होना आवश्यक है, तथा मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC – क्रीमी लेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए। स्नातक डिग्री, उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कम से कम तीन वर्ष की अवधि की होनी चाहिए। प्रवेश का आधार:- प्रवेश नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी (NTA) द्वारा प्रवेशित वर्ष के लिये आयोजित CMAT (Common Management Admission Test) प्रवेश परीक्षा के कॉमन मेरिट सूची के आधार पर होगा। नोट:- यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की काउंसलिंग के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो द्वितीय दौर की काउंसलिंग, प्रवेश परीक्षा की रैंक के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक-पृथक अथवा साथ-साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
(2)	एम.सी.ए. (MCA) शैक्षणिक अर्हता:- किसी भी स्नातक डिग्री (जैसे: B.E. / B.Tech. / B.Sc. / B.Com. / B.A. / B.Voc / BCA आदि) उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिसमें गणित विषय 10+2 स्तर पर या स्नातक स्तर पर होना चाहिए। अभ्यर्थी के समग्र प्राप्तांकों का प्रतिशत कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है, तथा मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC – क्रीमी लेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए। स्नातक डिग्री की अवधि कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए।

	नोट:- ऐसे उम्मीदवार जिनकी गणित का पृष्ठभूमि नहीं है, उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा (Students having no Mathematics background, have to complete bridge courses as per respective university norms). प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।
(3)	एम.टेक.-एम.ई. (M.Tech./M.E) शैक्षणिक अर्हता:- संबंधित इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी क्षेत्र में स्नातक डिग्री में समग्र प्राप्तांकों का प्रतिशत कम से कम 50% होना अनिवार्य है तथा मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-क्रीमी लेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए। स्नातक डिग्री की अवधि कम से कम 4 वर्ष की होनी चाहिए। प्रवेश का आधार:- प्रवेश वैध गेट स्कोर (Valid GATE Score) के आधार पर किया जाएगा। नोट:- ➤ शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में सामान्य सीटें (UR Seats) मध्य प्रदेश के मूल निवासियों तथा गैर- मूल निवासियों दोनों अभ्यर्थियों के लिए उनकी मेरिट के अनुसार उपलब्ध रहेंगी। ➤ पाठ्यक्रम हेतु पात्रता (Eligibility for course) काउंसलिंग की वेबसाइट https://dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। ➤ यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की काउंसलिंग के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो द्वितीय दौर की काउंसलिंग, प्रवेश परीक्षा की रैंक के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक-पृथक अथवा साथ-साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
(4)	एम.टेक.-एम.ई. - वर्किंग प्रोफेशनल्स (M.Tech./ME - Working Professionals) शैक्षणिक अर्हता:- ➤ संबंधित इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी क्षेत्र में स्नातक डिग्री में समग्र प्राप्तांकों का प्रतिशत कम से कम 50% होना अनिवार्य है तथा मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-क्रीमी लेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए। ➤ स्नातक डिग्री की अवधि कम से कम 4 वर्ष की होनी चाहिए तथा यह डिग्री किसी AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थान, भारतीय विश्वविद्यालय, या Association of Indian Universities (AIU) द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान, अथवा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (जैसे IITs, IISc, NITs आदि) से प्राप्त होनी चाहिए, जिन्हें MHRD द्वारा समकक्षता प्रदान की गई हो। प्रवेश का आधार:- प्रवेश वैध गेट स्कोर (Valid GATE Score) के आधार पर किया जाएगा। नोट:-

	➤ अभ्यर्थी को किसी पंजीकृत उद्योग/संगठन (केंद्रीय/राज्य), निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी या MSMEs में कार्यरत पेशेवर, जो संस्थान से 50 किलोमीटर की त्रिज्या (रेडियल दूरी) के भीतर स्थित हों से न्यूनतम एक वर्ष का पूर्णकालिक/नियमित कार्य अनुभव होना का प्रमाण प्ररूप-12 में पंजीयन के समय अपलोड करना अनिवार्य है। ➤ पाठ्यक्रम हेतु पात्रता (Eligibility for course) काउंसलिंग की वेबसाइट https://dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। ➤ यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर काउंसलिंग के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, प्रवेश दिया जा सकेगा।
(5)	एम. प्लानिंग (M. Planning) शैक्षणिक अर्हता:- ➤ योजना (Planning), वास्तुकला (Architecture), सिविल इंजीनियरिंग (Civil Engineering) में कम से कम 4 वर्ष अवधि की स्नातक डिग्री अथवा भूगोल (Geography), अर्थशास्त्र (Economics), सामाजिक विज्ञान (Social Sciences) में स्नात्कोत्तर (Master's Degree) अथवा समकक्ष डिग्री कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए, तथा मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-क्रीमी लेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। प्रवेश का आधार:- प्रवेश वैध GATE / NET स्कोर (Valid GATE/NET score) के आधार पर किया जाएगा। नोट:- यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की काउंसलिंग के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो द्वितीय दौर की काउंसलिंग, प्रवेश परीक्षा की रैंक के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक-पृथक अथवा साथ-साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
(6)	मास्टर ऑफ फार्मसी (Master of Pharmacy) शैक्षणिक अर्हता:- ➤ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भारतीय विश्वविद्यालय से, या भारतीय फार्मसी परिषद (Pharmacy Council of India) द्वारा अनुमोदित संस्थान से बी. फार्मा (B.Pharm) डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा चार वर्षों के बी. फार्मा के समग्र अंकों में अधिकतम अंकों के कम से कम 55% अंक प्राप्त होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंकों के कम से कम 50% अंक प्राप्त होना चाहिए। ➤ बी. फॉर्मा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात कम से कम 5 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एम. फॉर्मा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत में 55% से घटाकर 50% की छूट प्रदान की जाएगी। प्रवेश का आधार:- प्रवेश वैध जीपेट स्कोर (Valid GPAT Score) के आधार पर किया जाएगा। नोट:-

	➤ देश के किसी भी फार्मसी संस्थान में स्नातकोत्तर फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित प्रत्येक विद्यार्थी के पास राज्य फार्मसी परिषद (State Pharmacy Council) में पंजीकरण होना चाहिए, अथवा उसे प्रवेश की तिथि से एक माह के भीतर पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। (एम.फार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पीसीआई अधिसूचना 12 मार्च 2020 के अनुपालन को सुनिश्चित करना संस्थान के निदेशक/प्राचार्य की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।) ➤ यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की काउंसलिंग के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो द्वितीय दौर की काउंसलिंग, प्रवेश परीक्षा की रैंक के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक-पृथक अथवा साथ-साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
(7)	मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर (Master of Architecture) शैक्षणिक अर्हता:- बी. आर्क. (B. Arch.) डिग्री परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ-साथ समग्र अंकों में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या समकक्ष CGPI प्राप्त किया हो। प्रवेश का आधार:- प्रवेश वैध PGETA स्कोर (Valid PGETA score) के आधार पर किया जाएगा।
एकीकृत पाठ्यक्रम (Integrated Course)	
(1)	एकीकृत एम.बी.ए (Integrated MBA) शैक्षणिक अर्हता:- माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल से 10+2 परीक्षा (अर्हता परीक्षा) उत्तीर्ण की हो या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा समग्र रूप से न्यूनतम 45% अंक (मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक) प्राप्त किए हों। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।
(2)	एकीकृत एम.सी.ए. (Integrated MCA) शैक्षणिक अर्हता:- माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल से 10+2 परीक्षा (अर्हता परीक्षा) उत्तीर्ण की हो या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा समग्र रूप से न्यूनतम 45% अंक (मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक) प्राप्त किए हों। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।
फार्मसी के फॉर्म डी पाठ्यक्रम (Pharm.D Courses of Pharmacy)	
(1)	फार्मा डी (Pharm.D) शैक्षणिक अर्हता:- निम्नलिखित में से किसी एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है: ➤ 10+2 परीक्षा जिसमें भौतिकी (Physics) और रसायन विज्ञान (Chemistry) अनिवार्य विषय हों तथा गणित (Mathematics) या जीवविज्ञान (Biology) में से कोई एक विषय हो,

	माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। अथवा ➤ भारतीय फार्मसी परिषद (Pharmacy Council of India) द्वारा फार्मसी अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अनुमोदित संस्थान से डी. फार्मा (D.Pharm) कोर्स उत्तीर्ण हो। अथवा ➤ भारतीय फार्मसी परिषद (Pharmacy Council of India) द्वारा उपरोक्त किसी भी परीक्षा के समकक्ष अनुमोदित कोई अन्य योग्यता। नोट:- प्रवेश वर्ष में 31 दिसंबर तक छात्र की आयु 17 वर्ष पूर्ण होनी अनिवार्य है। प्रवेश का आधार:- अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।
(2)	फॉर्मा. डी - पोस्ट बैकैलॉरिएट (Pharm.D. (Post Baccalaureate)) शैक्षणिक अर्हता:- भारतीय फार्मसी परिषद (Pharmacy Council of India) द्वारा फार्मसी अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अनुमोदित संस्थान से बी. फार्मा (B.Pharm) उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रवेश का आधार:- प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट पर दिये जायेंगे।
नोट:- ➤ ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जायेंगे। ➤ ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिए परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित कर प्रस्तुत करना होगा।	

13. अंकों में अधिभार:-

(13.1)	राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद का अधिभार (समस्त डिप्लोमा एवं स्नातक पाठ्यक्रमों में (वर्किंग प्रोफेशनल्स स्तर के पाठ्यक्रमों को छोड़कर) उपलब्ध):- - राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के छात्र-छात्राओं को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट सूची - प्रवेश परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट सूची - अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त, प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। नोट:- ऐसे उम्मीदवार जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, उन्हें मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।
--------	---

14. पाठ्यक्रमवार योग्यताक्रम सूचियों का आधार:-

	प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा
14.1	बी.ई./बी.टेक.:- जेईई(मेन) (JEE(Main)) संयुक्त प्रवेश परीक्षा की एकीकृत योग्यताक्रम सूची (Common Merit List)/अर्हकारी परीक्षा।
14.2	बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर:- COA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा नाटा NATA/Jee-Main (प्रवेशित वर्ष के लिये) पेपर-2 के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा अर्हकारी प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत को जोड़कर तैयार की गई मेरिट।
14.3	एम.बी.ए.:- Common Merit List of CMAT/अर्हकारी परीक्षा।
14.4	एम.टेक.-एम.ई.:- Valid GATE Score/अर्हकारी परीक्षा।
14.5	मास्टर ऑफ फार्मेसी:- Score for Qualified GPAT Exam/अर्हकारी परीक्षा।
14.6	मास्टर ऑफ प्लानिंग:- Valid GATE/NET score/अर्हकारी परीक्षा।
14.7	मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर:- Valid PGETA Score.
14.8	अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश वाले पाठ्यक्रम:- पाठ्यक्रम की शैक्षणिक अर्हता में दिये गये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर।

15. समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Inter-se Merit):-

15.1	बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम:-
	I. प्रवेशित वर्ष के लिये आयोजित की जाने वाली जेईई (मेन) प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची में एक ही मेरिट पर एक या एक से अधिक उम्मीदवार प्राप्त होने पर, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर सूची में ऊपर रखा जावेगा, अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर, अर्हता के लिये आवश्यक 03 विषयों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा, अर्हता के लिये आवश्यक 03 विषयों में भी समान अंक प्राप्त होने पर, अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा, तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा। II. अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट हेतु अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अर्हता के लिये आवश्यक 03 विषयों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा। अर्हता के लिये आवश्यक 03 विषयों में भी समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा। तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।
15.2	बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर:-
	I. 10+2 की 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार के लिये:- एक समान अंक प्राप्त होने पर NATA/Jee-Main (प्रवेशित वर्ष के लिये) पेपर-2 में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में उपर रखा जावेगा, NATA/Jee-Main (प्रवेशित वर्ष के लिये) पेपर-2 में भी समान अंक प्राप्त होने पर 10+2 की 12 वीं परीक्षा में गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में उपर रखा जावेगा, गणित विषय में भी समान अंक प्राप्त होने पर भौतिक विषय एवं भौतिक विषय में भी समान अंक होने पर रसायन विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जायेगा। रसायन विषय में भी समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा। तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा। II. डिप्लोमा उत्तीर्ण उम्मीदवार के लिये:- एक समान अंक प्राप्त होने पर NATA/Jee-Main पेपर-2 में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में उपर रखा जावेगा, NATA/Jee-Main पेपर-2 में भी समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में उपर रखा जावेगा। तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।

15.3	बैचलर फार्मेसी एवं डिप्लोमा फार्मेसी
	I. अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर बायोलॉजी/गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा बायोलॉजी/गणित विषय में भी समान अंक होने पर भौतिक शास्त्र विषय एवं भौतिक शास्त्र विषय में भी समान अंक होने पर रसायन शास्त्र विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जायेगा। रसायन शास्त्र विषय में भी समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा। तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।
15.4	एम.बी.ए., एम.ई.-एम.टेक., एम.टेक.-एम.ई. - वर्किंग प्रोफेशनल्स, मास्टर ऑफ प्लानिंग, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एवं मास्टर ऑफ फार्मेसी पाठ्यक्रम:-
	I. यदि दो या अधिक अभ्यर्थी संबंधित प्रवेश परीक्षा में समान अंक या मेरिट प्राप्त करते हैं, तो उनकी वरीयता का निर्धारण अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यदि अर्हता परीक्षा के अंक भी समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु भी समान हो, तो अभ्यर्थियों के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा। II. अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा। तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।
15.5	अन्य शेष पाठ्यक्रम:-
	I. अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा। तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।

16. प्रवेश का क्रम:-

16.1	अनिवासी भारतीय (NRI) अभ्यर्थियों:- सर्व प्रथम, सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसलिंग) से संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय (NRI) अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।
16.2	मध्यप्रदेश के मूल निवासियों/सामान्य पूल के लिये उपलब्ध सीटें:- मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों के प्रथम चरण की परामर्श (काउंसलिंग) में, यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करता है, तो उसे सर्वप्रथम अनारक्षित श्रेणी में सीट आवंटित की जाएगी। यदि अनारक्षित श्रेणी में उसे उसकी प्राथमिकता के अनुसार सीट प्राप्त नहीं होती है, तो उसे उसकी पात्रता के अनुसार आरक्षित श्रेणी में सीट आवंटित की जाएगी। ऐसे आवंटन के पश्चात्, रिक्त आरक्षित सीटें पारस्परिक रूप से निम्न क्रम में परिवर्तित एवं आवंटित की जाएंगी, अर्थात् अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जनजाति। आरक्षित प्रवर्गों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन करने के पश्चात्, रिक्त सीटें, यदि कोई हों, अनारक्षित सीटों में संविलीन की जायेंगी और उसके पश्चात् अनारक्षित सीटों पर पुनः आवंटन किया जाएगा।
16.3	परामर्श (काउंसलिंग) की प्रक्रिया:- 1. प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर:- प्रवेश परीक्षाओं की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), प्रवेश परीक्षा की रैंक के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक-पृथक अथवा साथ-साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा जिसमें:- ➤ अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) में उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में होंगे एवं जिसके लिये समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा। ➤ परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थानों पर, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

	2. अर्हकारी परीक्षाओं के आधार:- जिन पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), भी अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। ➤ परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थानों पर, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार , काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।
16.4	बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में ब्रांच परिवर्तन के विकल्प:- बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम में केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसलिंग) चरणोंपरान्त, प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी यदि अपनी ब्रांच परिवर्तन के विकल्प लेने का इच्छुक हो , तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार ब्रांच परिवर्तन के लिये अपना विकल्प दे सकेगा ब्रांच परिवर्तित होने की दशा में, उसकी पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा पश्चात्वर्ती ब्रांच में ही उसका प्रवेश बना रहेगा।
16.5	अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश का प्रावधान:- शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में काउंसलिंग के अंतिम चरण में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्रवेश देने के उपरांत रिक्त सीटों पर अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जा सकेंगे।

17. प्रवेश की प्रक्रिया की सामान्य जानकारी:-

17.1	ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया (Admission Procedure of Online Off Campus Counselling):- राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, संविधिक निकायों/राज्य शासन द्वारा जारी शैक्षणिक कलेंडर के अनुसार, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।
17.2	समस्त प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी / संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट https://dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।
17.3	मूल प्रमाण-पत्र:- काउंसलिंग प्रक्रिया से आवंटन उपरान्त, आवंटित संस्था में प्रवेश के समय, उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे, सत्यापन उपरान्त उनके मूल प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को टी.सी. एवं माइग्रेसन को छोड़कर अन्य मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं करने हैं। नोट:- काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत/संस्था स्तर (सीएलसी) काउंसलिंग में, संस्थान/पाठ्यक्रम के आवंटन के पश्चात् उम्मीदवार को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) द्वारा निर्धारित शुल्क तथा मूल टीसी/माइग्रेसन प्रमाण-पत्र आवंटित संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, यदि उम्मीदवार किसी भी माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने हेतु किसी संस्था या व्यक्ति को कोई शुल्क जमा करता है/देता है अथवा अपने मूल दस्तावेज जमा करता है/सौंपता है, तो इसके लिए उम्मीदवार स्वयं उत्तरदायी होगा।
17.4	प्रवेशित वर्ष में संस्थाओं के अंतरण (Transfer) हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
17.5	निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं को में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।
17.6	ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में दो सत्र में प्रवेश का प्रावधान:- प्रवेशित सत्र के लिए सांविधिक निकाय द्वारा जारी किये गये शैक्षणिक कैलेंडर अनुसार दो सत्र यथा जुलाई एवं जनवरी सत्र के लिये प्रवेश की प्रक्रिया संबंधित विश्वविद्यालय के प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

18. प्रवेश का रद्द किया जाना:-

18.1	मिथ्या या गलत जानकारी:- यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना, संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे तत्काल रद्द किया जा सकता है।
18.2	प्रवेश निरस्त उपरान्त शुल्क वापसी:- प्रवेशित सत्र के लिये सांविधिक निकाय द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावशाली रहेगा। उक्त कैलेंडर में प्रवेश निरस्त उपरान्त शुल्क वापसी के लिये निर्धारित तिथि के पश्चात्, प्रवेश निरस्त कराये जाने पर, शिक्षण शुल्क की वापसी मान्य नहीं होगी।
18.3	रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति:- प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तिथि के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।
18.4	प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त:- प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

19. शिक्षण तथा अन्य फीस:-

राज्य शासन/प्रवेश शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) द्वारा विभिन्न संस्थाओं में संचालित तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशित उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के समय-समय पर आदेश जारी किये जाते हैं। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

20. निर्वचन:-

उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर, निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

21. उपांतरण:-

मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम / प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन (**Modification**) करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन (**Modification**) बंधनकारी होगा।

22. अधिकारिता:-

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की काउंसिलिंग वेबसाइट
<https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

23. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक विषयों की समतुल्यता

बी.ई./बी.टेक. पाठ्यक्रम की विभिन्न ब्रांच में प्रवेश हेतु न्यूनतम् अर्हता/आवश्यक विषयों की समतुल्यता

क्रमांक	ब्रांच	Mandatory Courses at 10+2 Level	Other relevant course (s) for the discipline
1	AERONAUTICAL	Phy, Chem, Maths	NA
2	AUTOMOBILE ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
3	CHEMICAL ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
4	CIVIL & RURAL ENGG.	Phy, Chem, Maths	NA
5	FIRE TECH & SAFETY	Phy, Chem, Maths	NA
6	INDUSTRIAL & PRODUCTION ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
7	INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT	Phy, Chem, Maths	NA
8	MECHANICAL AND AUTOMATION ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
9	MECHATRONICS ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
10	MINING AND MINERAL PROCESSING	Phy, Chem, Maths	NA
11	MINING ENG	Phy, Chem, Maths	NA
12	PETRO CHEMICAL ENGG (PCE)	Phy, Chem, Maths	NA
13	PETROCHEMICAL TECHNOLOGY	Phy, Chem, Maths	NA
14	PRODUCTION ENGG	Phy, Chem, Maths	NA
15	SAFETY AND FIRE ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
16	TEXTILE TECHNOLOGY	Phy, Chem, Maths	NA
17	CIVIL ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
18	MECHANICAL ENGINEERING	Phy, Chem, Maths	NA
19	3D ANIMATION & GRAPHICS	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
20	APPLIED ELECTRONICS & INSTRUMENTATION	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
21	ARTIFICIAL INTELLIGENCE	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
22	ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND DATA SCIENCE	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
23	ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
24	ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
25	ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
26	AUTOMATION AND ROBOTICS	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
27	BIOMEDICAL AND ROBOTIC ENGINEERING	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
28	BIO-MEDICAL ENGINEERING	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
29	COMPUTER	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
30	COMPUTER ENGINEERING	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
31	COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (REGIONAL COURSES)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
32	COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (WITH SPL IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#

क्रमांक	ब्रांच	Mandatory Courses at 10+2 Level	Other relevant course (s) for the discipline
33	COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
34	COMPUTER SCIENCE AND DESIGN	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
35	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Phy, Maths	For remaining Single Course select any courses out of 14 #
36	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
37	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (BLOCK CHAIN)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
38	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
39	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
40	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNET OF THINGS AND CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECHNOLOGY)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
41	COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
42	COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
43	CONSTRUCTION AUTOMATION	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
44	CYBER SECURITY	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
45	DATA SCIENCE	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
46	ELECTRIC VEHICLES	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
47	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
48	ELECTRICAL ENGINEERING (INTERNET OF THINGS)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
49	ELECTRONICS & INSTRUMENTATION	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
50	ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
51	ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
52	ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
53	INFORMATION TECHNOLOGY	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
54	INFORMATION TECHNOLOGY (INTERNET OF THINGS(IOT))	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
55	INFORMATION TECHNOLOGY (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
56	INTERNET OF THINGS	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
57	INTERNET OF THINGS(IOT)	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
58	MATHEMATICS AND COMPUTING	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#

क्रमांक	ब्रांच	Mandatory Courses at 10+2 Level	Other relevant course (s) for the discipline
59	ROBOTICS AND MECHATRONICS	Phy, Maths	For remaining single course select any course out of 14#
60	ELECTRICAL ENGINEERING	Phy, Maths	For remaining Single Course select any courses out of 14 #
61	ELECTRONICS	Phy, Maths	For remaining Single Course select any courses out of 14 #
62	ELECTRONICS	Phy, Maths	For remaining Single Course select any courses out of 14 #
63	BIO-TECHNOLOGY	Phy, Chem	Select any one from bio/biotechnology/Maths
64	AGRICULTURE ENGINEERING	Phy, Chem or Agriculture stream	Maths/Biology/Biotechnology/Agriculture/Agriculture stream
65	AGRI. TECH.	Phy, Chem, OR Agriculture Stream	Maths/Biology/Biotechnology/Agriculture/Agriculture stream
66	AGRICULTURAL ENGINEERING	Phy, Chem, OR Agriculture Stream	Maths/Biology/Biotechnology/Agriculture/Agriculture stream
67	FOOD TECHNOLOGY	Chem	For remaining two courses select any course out of 14#
68	Biomedical Engineering (Indian Language-Hindi)	Phy, Maths	For remaining single course select any courses out of 14#
69	Computer Science and Engineering-Indian language (Hindi)	Phy, Maths	For remaining single course select any courses out of 14#
70	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)	Phy, Chem, Maths	NA
71	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE)	Phy, Chem, Maths	NA
72	ELECTRONICS AND COMPUTER SCIENCE	Phy, Chem, Maths	NA

नोट – उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य ब्रांचों के लिये भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों की अनिवार्यता रहेगी।

Physics/Mathematics/Chemistry/Computer Science/Electronics/Information Technology/
Biology /Informatics Practices/ Biotechnology/Technical vocational
Subject/Agriculture/Engineering Graphics/ Business Studies/Entrepreneurship

लेटरल एण्ट्री-डिप्लोमा एवं डिप्लोमा-वर्किंग प्रोफेशनल्स द्वितीय वर्ष

Sr.No.	Major Disciplines	Equivalent Branches for Admission	Mandatory Courses at 10+2 Level	other relevant course (s) for the discipline
1	AERONAUTICAL ENGINEERING	Aircraft Maintenance Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
2	AGRICULTURE ENGINEERING**	Agriculture Engineering	Phy, Chem OR Agriculture Stream	Maths/Biology/Biotechnology/ Agriculture/Agriculture stream
3	AGRICULTURE ENGINEERING**	Agricultural Engineering	Phy, Chem OR Agriculture Stream	Maths/Biology/Biotechnology/ Agriculture/Agriculture stream
4	CIVIL ENGINEERING	Civil Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
5	CIVIL ENGINEERING	Cement Technology	Phy, Chem, Maths	NA
6	CIVIL ENGINEERING	Construction Technology and Management	Phy, Chem, Maths	NA
7	CHEMICAL ENGINEERING	Chemical Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
8	CHEMICAL ENGINEERING	Plastic Technology	Phy, Chem, Maths	NA
9	CHEMICAL ENGINEERING	Refinery and Petrochemical Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
10	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Computer Science and Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
11	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Computer Science	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
12	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Computer Hardware and Maintenance	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
13	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Information Technology	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
14	ELECTRICAL ENGINEERING	Electrical Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
15	ELECTRICAL ENGINEERING	Electrical and Electronics Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
16	ELECTRICAL ENGINEERING	Electrical and Mechanical Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
17	ELECTRONICS ENGINEERING	Electronics Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
18	ELECTRONICS ENGINEERING	Electronics and Communication	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
19	ELECTRONICS ENGINEERING	IC Manufacturing	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
20	ELECTRONICS ENGINEERING	Electronics and Telecommunication	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
21	ELECTRONICS ENGINEERING	Electronics and Instrumentation	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
22	ELECTRONICS ENGINEERING	Industrial Electronics	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
23	ELECTRONICS ENGINEERING	Instrumentation Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
24	ELECTRONICS ENGINEERING	Opto Electronics	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
25	FASHION TECHNOLOGY	Fashion Technology	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
26	FASHION TECHNOLOGY	Beauty Culture and Cosmetology	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
27	FASHION TECHNOLOGY	Film Tech. & TV Prod. (Cinematography)	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
28	FASHION TECHNOLOGY	Modern Office Management	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level

29	FASHION TECHNOLOGY	Textile Design	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
30	FASHION TECHNOLOGY	Travel and Tourism	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
31	FOOD ENGINEERING	Food Technology	Chem	For remaining two courses select any courses out of 14#
32	FOOD ENGINEERING	Hotel Management of Catering Technology	Chem	For remaining two courses select any courses out of 14#
33	MECHANICAL ENGINEERING	Mechanical Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
34	MECHANICAL ENGINEERING	Automobile Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
35	MECHANICAL ENGINEERING	Manufacturing Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
36	MECHANICAL ENGINEERING	Mechatronics	Phy, Chem, Maths	NA
37	MECHANICAL ENGINEERING	Production Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
38	MECHANICAL ENGINEERING	Refrigeration and Air Conditioning	Phy, Chem, Maths	NA
39	MECHANICAL ENGINEERING	Textile Designing	Phy, Chem, Maths	NA
40	MINING ENGINEERING	Mining Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
41	MINING ENGINEERING	Mine Surveying	Phy, Chem, Maths	NA
42	MINING ENGINEERING	Mining and Mine Surveying	Phy, Chem, Maths	NA
43	OPHTHALMIC	Ophthalmic Technology	Phy	For remaining two courses select any courses out of 14#
44	PRINTING ENGINEERING	Printing Technology	Phy, Chem	For remaining single courses select any courses out of 14#
45	TEXTILE ENGINEERING	Textile Technology	Phy, Chem, Maths	NA

****** First one or two Semesters may be so designed that student with Biology /Biotechnology/ background have adequate courses on maths and vice Versa and then the class is at level studying field for the rest of the semesters.

Physics/Mathematics/Chemistry/Computer Science/Electronics/ Information Technology/ Biology/Informatics Practices/Biotechnology/Technical Vocational subject/Agriculture/ Engineering Graphics/Business Studies/Entrepreneurship.

24. विभिन्न प्रारूप

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)	
अनुभाग.....	जिला मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक	प्रकरण क्रमांक प्रमाण पत्र क्रमांक
स्थायी जाति प्रमाण पत्र	
1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी..... पिता/ पति का नाम	
निवासी ग्राम/नगर वि.खं तहसील	
जिला संभाग के जाति/ जनजाति का/ की सदस्य है और इस जाति/ जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/ जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 ,के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित हैं। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पतिका नाम अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।	
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए.....है।	
दिनांक.....	हस्ताक्षर प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम (सील) पदनाम
टिप्पणी	
(1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।	
(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी,वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।	
यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे ,न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।	

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र	
स्थायी प्रमाण पत्र कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)	
अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक..... प्रमाण पत्र क्रमांक.....	
जाति प्रमाण-पत्र	
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री/श्री..... निवासी/ग्राम/शहर..... तहसील..... जिला..... मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो..... जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चैवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है और सूची के क्रमांक..... पर अंकित है। श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला संभाग..... में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम 3-में तथा मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ -1/93/26-7 .आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।	
1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये..... हैं।	
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को प्रवजन कर चुका है।	
दिनांक.....	हस्ताक्षर प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम (सील) पदनाम

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र	
भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से दिव्यांग प्रतिरक्षा कर्मचारी	
संदर्भ क्रमांक.....	दिनांक.....
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....के पुत्र/ पुत्री (परीक्षार्थी का नाम).....	
जो प्रवेश परीक्षा का नाम.....वर्ष.....के आधार पर	
(पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है ,श्री/ श्रीमती..... के पिता/माता है जो-	
(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे.....पद पर थे/थी उनका सर्विक्रमांक.....था।	
अथवा	
(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..... पद पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष उन्होंने में हो चुकी है।	
स्थान:	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक:.....	
(कार्यालय सील)	

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी	
संदर्भ क्रमांक.....	दिनांक.....
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....के पुत्र/पुत्री (परीक्षार्थी का नाम).....जो प्रवेश परीक्षा का नाम.....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं, के पिता/माता है जो-	
(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना मेंओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में दिनांक.....से सेवारत है।	
अथवा	
(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।	
स्थान:	हस्ताक्षर: आफिसर कमांडिंग
दिनांक:.....	(कार्यालय सील)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र	
संदर्भ क्रमांक.....	दिनांक.....
मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी(उम्मीदवार का नाम).....जो परीक्षा का नाम.....वर्ष..... के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार से.....पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से.....(स्थान) तहसील.....जिला.....में व्यवस्थापित हो गये है।	
स्थान:.....	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक:.....	(कार्यालय सील)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र	
संदर्भ क्रमांक.....	दिनांक.....
प्रमाणित किया जाता है कि श्री /कुमारी) उम्मीदवार का नाम.....(श्री/श्रीमती) उम्मीदवार के पिता /माता का नाम)..... के वैध (Legitimate) पुत्र/ पुत्री हैं। श्री/श्रीमती (उम्मीदवार के माता/ पिता नाम)श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के वैध (Legitimate) पुत्र/ पुत्री हैं।	
एवं	
श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)..... का नाम मध्यप्रदेश के जिला.....(जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक.....पर पंजीकृत है।	
स्थान: कलेक्टर दिनांक:..... (कार्यालय सील)	हस्ताक्षर

स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र कार्यालय नायब तहसीलदार/ तहसीलदार	
टप्पा/ तहसील	जिला.....
प्र.क्र.	वर्ष..... दिनांक.....
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र	
यहा आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो लगाया जाये जो	
प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायें	
1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमति/ कु..... पिता/पति निवासी तहसील जिला (मध्यप्रदेश). राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिये प्रभावशील ज्ञाप दिनांक में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।	
2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक के अधीन आवेदक द्वारा दिये विवरण अनुसार की पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है:-	
टीप:- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।	
(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)	
ह.तहसील/नायब तहसीलदार तहसील..... जिला.....	
* लागू न होने पर काट दें। * यह प्रमाण पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त है तो उसे भी मान्य किया जावेगा।	

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण-पत्र	
Office of the Zonal Officer TO WHOM IT MAY CONCERN	
Certified that S/o or D/o R/oTehsil District..... A/P..... Pin is registered from No. R/Card No..... At S. No. of his/her father ration card issued from this zone.	
Seal of Tehshildar Tehshildar	Zonal Officer /

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण-पत्र	
संदर्भ क्रमांक.....	दिनांक.....
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/आत्मजा/श्री जो (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है।	
श्री..... (उम्मीदवार का नाम) के पिता/माता श्री/श्रीमती..... मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी/ कर्मचारी है जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में रही है।	
स्थान	हस्ताक्षर
दिनांक.....	(सील)

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र	
संदर्भ क्रमांक.....	दिनांक.....
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/ आत्मजा/ श्री ने वर्ष की मे भारत सरकार , युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर आयोजित राष्ट्रिय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित किया है।	
स्थान दिनांक	संचालक खेल और युवक कल्याण , मध्यप्रदेश हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा
नोट:- ओपन , जूनियर , सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नहीं माना जावेगा ।	

आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र (सादे कागज पर)	
मैं..... आत्मज श्री..... आयु वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-	
1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।	
2. मेरी नाम से ग्राम..... में हैक्टेयर/एकड़ कृषक भूमी है, जिससे मुझे रुपये शब्दों में की वार्षिक आय होती है।	
3. मेरा व्यवसाय..... है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये..... शब्दों में है।	
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये..... शब्दों में है।	
5. मेरे परिवार निम्नानुसार सदस्य है:- 1..... 2..... 3..... 4..... 5	
(परिवार से आशय पति/पत्नी/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)	
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये शब्दों में है।	
7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।	
अथवा	
8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग समय पूर्व एक आय प्रमाण -पत्र/शपथ-पत्र राशि..... रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।	
(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)	
हस्ताक्षर	
सत्यापन	
मैं..... आत्मज/पति श्री आयु वर्ष, निवासी सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे। सत्यापन आज दिनांक वर्ष को स्थान.....में किया गया।	
हस्ताक्षर	

(सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 07.11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 का संलग्नक)	
मध्यप्रदेश शासन	
कार्यालय का नाम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र	
प्रमाण-पत्र संख्या.....	दिनांक.....
वित्तीय वर्ष.....के लिए मान्य	
1. प्रमाणित किया जाता है, कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पति/पत्नी ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना तहसील राज्य..... पिन कोड के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष.....में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-	
(1) जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीलीए बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि में शामिल नहीं होगी।	
(2) जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/ फ्लैट हो। नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।	
(3) जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/ फ्लैट हो।	
(4) नगर परिषद क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो।	
2. श्री / श्रीमती/ कुमारी जाति के सदस्य है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।	
आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ	हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित) पूरा नाम..... पदनाम..... अनुविभागीय अधिकारी/ तहसीलदार